भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

सं0464/अनुदेश/2016-ईपीएस **दिनांक: 04 जनवरी, 2016**

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

1) गोवा, पणजी ।
2) मणिपुर, इम्फाल ।
3) पंजीब, चंडीगढ ।
4) उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5) उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

विषय: <u>विधान सभाओं का साधारण निर्वाचन, 2017: आयोग की पुनरीक्षण बैठक के लिए तैयारी-तत्संबंधी ।</u>

<u>महोदय,</u>

जैसा कि आप अवगत हैं, संविधान ने राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के साथ-साथ संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के लिए भारत निर्वाचन आयोग को अधिदेशित किया है । इस संवैधानिक दायित्व के निर्वहन को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रत्येक राज्य/ संघ शासित क्षेत्र के लिए विधि द्वारा एक पदानुक्रमित प्रशासनिक संरचना उपलब्ध करवाई गई है जिसमें अन्य अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारियों को शामिल किया गया है जिन्हें विविध प्रकार के निर्वाचन उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों के लिए तैनात किया है ।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि किसी निर्वाचन संबंधी ड्यूटी या कार्य में तैनात या शामिल सभी अधिकारी और कार्मिक भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं और सीधे उसके अधीक्षण, अनुशासन एवं नियंत्रण के अधीन होते हैं । देश में कुशल तथा व्यावसायिक निर्वाचन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, आयोग समय-समय पर निर्वाचक नामावली के अद्यतनीकरण तथा तैयारी की प्रगति का पुनरीक्षण करने के साथ-साथ, निर्वाचन होने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में निर्वाचन तंत्र की मतदान तैयारी का ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण करता है । इस संबंध में, यह देखा गया है कि कई ऐसी पुनरीक्षण बैठक के दौरान निर्वाचन अधिकारियों के प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता, विषय-वस्तु, विशेषकर राज्य/संघ शसित क्षेत्र स्तर पर, में पर्याप्त सुधार की गुंजाइश रहती है ।

आयोग ने इस मामले का पुनरीक्षण किया है और अपने तत्वावधान में आयोजित निर्वाचन संबंधी पुनरीक्षण बैठकों के मौलिक महत्व पर विचार करते हुए, निर्वाचन प्रशासन की समग्र कुशलता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित निदेश जारी किए जाते है:-

1. किसी निर्वाचन संबंधी मामले या विषय के अनुवीक्षण, पुनरीक्षण या मूल्यांकन करने के लिए आयोग द्वारा आयोजित सभी बैठकें, पुनरीक्षण, कार्यशालाएं, सम्मेलन तथा सेमीनार अत्यधिक औपचारिक होते हैं और इनमें गरिमापूर्ण व्यवहार एवं आचरण अपेक्षित है ।
2. समयनिष्ठा सख्ती से अवश्य सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा आयोग की बैठक में उपस्थित होने वाले सभी अधिकारी एवं कार्मिक आयोग के आने से कम से कम **10** मिनट पहले अपनी सीटों पर अवश्य बैठ जाएं ।
3. आयोग की बैठक के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग पर सख्त मनाही है तथा सभी अधिकारी यह अवश्य सुनिश्चित करें कि उनके मोबाइल स्विच ऑफ मोड, साइलेंट मोड में हों ताकि कार्यवाहियों में व्यवधान को रोका जा सके ।

4. आयोग की किसी ऐसी बैठक, पुनरीक्षण, कार्यशाला, सम्मेलन या संगोष्ठी में भाग लेने वाले सभी अधिकारी तथा कार्मिक शिष्टाचार के उच्च मानकों, उपयुक्त ड्रैस, आधिकारिक नयाचार, स्वच्छ व्यक्तित्व तथा व्यवसायिक आचरण को बनाए रखेगा और हर समय ऐसा व्यवहार करेगा जो एक सरकारी सेवक के लिए उपयुक्त हो ।
5. आयोग की बैठकों/पुनरीक्षणों में कार्यवाहियों के दौरान सभी अधिकारी तथा कार्मिक सकारात्मक रूप से सतर्क एवं केद्रित रहेंगे ।
6. आयोग की किसी ऐसी बैठक आदि में भाग लेने वाले सभी अधिकारी तथा कार्मिक को विचाराधीन या समीक्षाधीन विषय वस्तु पर पूर्ण रूप से तैयार होकर आएंगे और आयोग के अवलोकनार्थ एवं प्रस्तुत करने के लिए लघु सार-संग्रह या लिखित रिर्पोट की उपयुक्त प्रतियां लाएंगे ।
7. सभी अधिकारी तथा कार्मिक आयोग के साथ अपने पारस्परिक विचार-विमर्श के दौरान शालीन एवं शिष्ट बने रहेंगे तथा प्रासंगिक मुद्दों पर विधिपूर्वक एवं प्रभावशाली रूप से बात करेंगे ।

उपरोक्त अनुदेशों को कृपया नोट किया जाए तथा सख्त अनुपालन के लिए सभी निर्वाचन पदाधिकारियों के ध्यान में लाया जाए ।
कृपया इस पत्र की पावती दें ।

भवदीय,

ह०/-

(निखिल कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपिप्रेषितः-

1. मंत्रिमंडल सचिव ।
2. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिव ।
3. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अन्य सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।
4. मानक वितरण ।